65

संख्या–141 /III-(1)/ 2016 -190 (PWD)/2001 T.C.VII(2)

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादूनःदिनांक 01 फरवरी, 2016

विषयः– लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वर्कएजेन्ट(कार्यअभिकर्ता) के वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–422/05 का0प्र0–अधि0/2015 दिनांक 22.06.2015 एवं पत्र सं0–700/05 का0प्र0–अधि0/2015 दिनांक 16.09.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–2541/III (1)/14–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/01 टी0सी0–7 दिनांक 12 फरवरी, 2014 तथा विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमानों से सम्बन्धित विसंगतियों पर विचार हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्मा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सृजित वर्कएजेन्ट के पद का ग्रेड वेतन ₹ 2000.00 के स्थान पर ₹ 2400.00 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्तानुसार वर्कएजेन्ट के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के फलस्वरूप भविष्य में इस पद पर सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता/अनुभव–"हाईस्कूल उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा समकक्ष), सर्वेयर/इलेक्ट्रीशयन ट्रेड में आई0टी0आई0 द्वारा प्रदत्त दो वर्षीय प्रमाण पत्र तथा संबंधित ट्रेड में 05 वर्ष का अनुभव" निर्धारित किया जाता है।

3– वर्कएजेन्ट के पद पर वर्तमान में कार्यरत पद धारकों को उक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने हेतु वेतन निर्धारण वित्त विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–140/XXXII(7) /2016, दिनांक 29 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या–141/III (1)/ –190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 टी0सी0–7(2), तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड,देहरादून।
2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड ।
3– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– निदेशक ,लेखा एवं हकदारी ,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5– राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक, उत्तराखण्ड,देहरादून।
6– सलाहकार,ऑडिट प्रकोष्ठ वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–7/संबधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव।